न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24 / 2021 **दायर दिनांकः 15 / 07 / 2021**

उनवान

1. कान्ती बाई आयु 54 वर्ष पुत्री प्रभू जाति धाकड निवासी रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारा (राज०) हाल निवासी खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थियाः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 06 / 10 / 2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थियाया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा पटवार हल्का रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 179 के ख0न0 1759 / 2012 का रकबा 0.13 है०, ख०न0 1762 / 1906 का रकबा 0.22 है०, ख०न0 1763 का रकबा 1.67 है० कुल 3 किता का रकबा 2.02 है० तथा ग्राम एवं माल सुभाषपुरा पटवार हल्का रीछन्दा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 57 ख0न0 785 का रकबा 2.35 है० खाता संख्या 212 ख०न0 854 का रकबा 0.01 है० गै0मु0 चाह, ख०न0 855 का रकबा 3.18 है० कुल किता 2 का रकबा 3.19 है० आराजी प्रार्थिया एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा प्रार्थिया का घर पर बोलता नाम कमलीबाई होने के कारण प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई के स्थान पर कमलीबाई गलत दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थिया के दस्तावेजों आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पास बुक,

पेन कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र में सही नाम कान्ती बाई दर्ज है। इसलिए प्रार्थिया का नाम कमलीबाई के स्थान पर सही नाम कान्ती बाई दर्ज किया जावे। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कमलीबाई के स्थान पर सही नाम कान्ती बाई दर्ज करवाया जाना संभव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सही दर्ज नही यिका गया तो प्रार्थिया को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा, अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कमली बाई के स्थान पर सही नाम कान्ती बाई दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कमलीबाई के स्थान पर सही नाम कान्ती बाई दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थिया की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थिया द्वारा जवाब प्रार्थना पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। साक्ष्य प्रार्थिया के अन्तर्गत PW_1 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक प्रार्थिया की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम कमली बाई के स्थान पर सही नाम कान्ती बाई दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072—2075 ग्राम रीछन्दा की खाता संख्या 179 कुल 3 किता का रकबा 2.02 है० में प्रार्थिया का नाम सहखातेदार के रूप में कमलीबाई पुत्री प्रभू दर्ज है। खाता संख्या 57 ख0न0 785 का रकबा 2.35 है० में सहखातेदार कमलीबाई पुत्री प्रभूलाल दर्ज है। खाता संख्या 212 कुल किता 2 का रकबा 3.19 है० में प्रार्थिया का नाम कमलीबाई पुत्री प्रभू सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, बैंक डायरी दी कोटा सैन्ट्रल को—ऑप. बैंक लि. शाखा बपावर, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में प्रार्थिया का नाम कान्ती बाई दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत रीछन्दा

के प्रमाण पत्र 04.07.2021 अनुसार कमली बाई का नाम कान्ती बाई करने हेतु अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रीछन्दा खाता संख्या 179 के ख0न0 1759/2012 का रकबा 0.13 है०, ख०न0 1762/1906 का रकबा 0.22 है०, ख०न0 1763 का रकबा 1.67 है० कुल 3 किता का रकबा 2.02 है० तथा ग्राम एवं माल सुभाषपुरा पटवार हल्का रीछन्दा तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 57 ख0न0 785 का रकबा 2.35 है० खाता संख्या 212 ख०न0 854 का रकबा 0.01 है० गै0मु0 चाह, ख०न0 855 का रकबा 3.18 है० कुल किता 2 का रकबा 3.19 है० में प्रार्थिया सहखातेदार कमलीबाई के स्थान पर कान्ती बाई उर्फ कमलीबाई दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां